

Bharat me badhte financial fraud

हालिया संदर्भ-

- हालहीमेंकि एगएक सर्वेक्षणमें लगभग 47% भारतीय शहरी आबादीके साथ वित्तीय धोखाधड़ी (financial fraud) होनेकी बातकही गई है।
- लोकल सर्कलसनामक एजेंसी द्वारा कि एगएड्स सर्वेक्षणमें कहा गया पिछले 3 वर्षमें देशके लगभग आधी शहरी आबादीके किसी-न-किसी सदस्यने वित्तीय धोखाधड़ीका अनुभव किया है।

सर्वेक्षण के आंकड़े-

- लोकल सर्कलसनामक एजेंसी द्वारा कि एगएड्स सर्वेक्षणके अनुसार वित्तीय धोखाधड़ीके मामलेमें पीड़ित शहरी आबादीका लगभग 43% क्रेडिट कार्ड (credit card) संबंधित धोखाधड़ी जबकि 30% आबादीने यूपीआई लेन देनके माध्यमसे धोखाधड़ीका अनुभव किया है।
- इसके अलावे 13% आबादी डेबिट कार्ड पर धोखाधड़ीवाले लेन देन, 19% द्वारा बैंक खातों (Bank Account) संबंधित लेन देन तथा 6% आबादीने एटीएम (ATM) कार्ड संबंधित धोखाधड़ीकी बातकही गई है।
- इस सर्वेक्षणके अनुसार 2 मेंसे 1 क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी पीड़ितोंको घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापारियों एवं वेबसाइटों द्वारा अनावश्यक रूपसे अनाधिकृत शुल्क (Unauthorised Charge) लिया गया।
- यूपीआई धोखाधड़ी मामलेमें 10 मेंसे 4 लोगों द्वारा भुगतान संबंधित भेजे गए यूआरकोड/लिंकके कारण पैसे डेबिट होनेकी बात स्वीकार की गई।

वित्तीय धोखाधड़ी (financial fraud)-

- वित्तीय धोखाधड़ी मुख्य रूपसे वित्तीय संस्थानोंसे संबंधित जमाकर्ताओंसे अवैध साधनोंका उपयोग करके धन प्राप्तिकेसे संबंधित है।

वित्तीय धोखाधड़ी के प्रकार-

- वैश्विकस्तरपरवित्तीयक्षेत्रमेंप्रौद्योगिकीकेविकासकेसाथ-साथ, इन्हींप्रौद्योगिकीकाउपयोगकरकेवित्तीयधोखाधड़ीमाफियाअवैधरूपसेनकदीप्राप्तकरनेकेनए-नएतरीकेढूंढरहेहैं, इनकेकुछप्रकारनिम्नहैं-

क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी-

- क्रेडिटकार्डबैंकद्वाराजारीकियागयाएकभुगतानकार्डहैजोउपयोगकर्ताकोविभिन्नवस्तुओंकीखरीददारीऔरनगदीनिकालनेकीअनुमतिदेताहै।
- क्रेडिटकार्डधोखाधड़ीकेतहतकिसीव्यक्तिकेक्रेडिटकार्डसंबंधीजानकारीचुराकरखरीददारीयानकदीनिकासीकीजातीहै।

यूपीआईआधारितधोखाधड़ी-

- यूपीआईयानीयूनिफाइडपेमेंट्सइंटरफेसऑनलाइनभुगतानकीसबसेसुलभऔरतेजप्रक्रियाहै।
- इसभुगतानप्रणालीकेतहतग्राहकअपने UPI आईडी (ID) कातथापिनकाउपयोगकरकेविभिन्नबैंकोंकेमाध्यमसेपैसाभेजयाप्राप्तकरसकतेहैं।
- वर्ष 2023 मेंभारत UPI से 8.7 बिलियनकालेनदेनकरकेसर्वोच्चस्थानपरहै।
- UPI धोखाधड़ीकेतहतउपयोगकर्ताकोभुगतानप्राप्तकरनेयाभुगतानकरनेकेसंबंधमेंअनाधिकृतलिकभेजाजाताहैजिसपरविलककरतेहीअनाधिकृतडेबिटलेन-देनहोजाताहै।
- ATM Card संबंधीधोखाधड़ी
- चेकसंबंधीधोखाधड़ी
- पहचानचोरी (Identity theft) संबंधीधोखाधड़ी

बढ़ते वित्तीय धोखाधड़ी के कारण-

- लोकलसर्कलसकेअनुसारभारतीयउपभोक्ताओंकेक्रेडिटकार्ड, पैनकार्ड, आधारकार्ड, मोबाइलनंबरसमेतईमेलएवंपते (Address) जैसीव्यक्तिगतपहचानयोग्यजानकारीडेटाबेसमेंआसानीसेउपलब्धहै।

- उपरोक्तव्यक्तिगतजानकारियोंकाउपयोगकरकेस्प्रेडशीटकाज्ञानरखनेवालाकोईभीव्यक्तिवित्तीयउपभोक्ताओंकाप्रोफाइलबनासकताहैजोवित्तीयधोखाधड़ीकोबढ़ानेकेलिएजिम्मेदारहै।

वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के संभावित उपाय-

- सत्यापितऐपकाउपयोगकरना
- अधिकृतवेबसाइटपरब्राउजकरना
- सुरक्षितवाई-फाई (wi-fi) कनेक्शनकाउपयोगकरना
- क्रेडिट/डेबिटया ATM कार्डकेउपयोगकेसमयसतर्करहना
- फोनयाकंप्यूटरमेंसुरक्षासॉफ्टवेयरकाउपयोगकरना
- व्यक्तिगतजानकारीसमक्षकरनेसेबचना।
- SMS या E-mail परआएकिसीसंदिग्धलिंकपरक्लिककरनेसेबचना।

वित्तीय अपराध रोकने के लिए संसद द्वारा बनाए गए कानून-

- भारतीयसंसदद्वारावित्तीयअपराधयाधोखाधड़ीकोरोकनेकेलिएएवंवित्तीयअपराधियोंकेखिलाफकार्यवाहीके लिए 'प्रिवेंसनऑफमनीलांड्रिंगएक्ट' बनाएगएहैं।
- प्रिवेंसनऑफमनीलांड्रिंगएक्टयानीधनशोधननिवारणअधिनियम, भारतीयसंसदद्वारा 17 जनवरी 2003 कोअभिनीतकियागयाजो 1 जुलाई 2005 सेलागूहूआ।
- धनशोधननिवारणअधिनियम- 2002 कोवर्ष 2005, 2009 तथा 2012 मेंसंशोधितकियागया।
- इसअधिनियममेंअधिनियमितनियमबैंकिंगकंपनियों, वित्तीयसंस्थानोंऔरमहामध्यस्थोंकोउनकेग्राहकोंकीपहचानएवंरिकॉर्डकोगुप्तबनाएरखनेकादायित्वदेतीहै।
- इसअधिनियमकेतहतवित्तीयअपराधकरनेवालेअपराधियोंकेलिए 3 सालसे 7 सालतककीकठोरसजाएवंजुर्मानाकाप्रावधानकियागयाहै।

वित्तीय खुफिया इकाई (financial intelligence unit)-

- वित्तीयखुफियाइकाई (FIU - INDIA) एककेंद्रीयराष्ट्रीयएजेंसीहैजोसंदिग्धवित्तीयलेन-देनसेसंबंधितजानकारीप्राप्तकरनेसहितउसकेप्रसारकोरोकनेकेलिएजिम्मेदारहै।
- भारतसरकारद्वाराइसकेंद्रीयएजेंसीकीस्थापना 18 नवंबर 2004 मेंकीगईथी।

- वित्तीयसुफियाइकाईएकस्वतंत्रनिकायहैजोवित्तमंत्रीकीअध्यक्षतावालीआर्थिकसुफियापरिषद (EIC) कोरिपोर्टकरतीहै।

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (14C)-

- भारतीयसाइबरअपराधसमन्वयकेंद्र (14C), भारतमेंसाइबरअपराधसेप्रभावीतरीकेसेनिपटनेकेलिएएकसरकारीपहलहैजोभारतसरकारकेगृहमंत्रालय द्वारा 415.86 करोड़राशिकीमंजूरीदेकरशुरुआतकीगईथी।
- जून 2020 मेंभारतसरकारद्वारा 14 (C) कीसिफारिशपर 59 चीनीमोबाइलऐपपरप्रतिबंधलगादियागयाथा।
- अक्टूबर 2023 मेंगूगल (Google) और 14 (C) द्वारासम्मिलितरूपसेभारतीयउपयोगकर्ताकोऑनलाइनधोखाधड़ीसेबचानेकेलिए 'डिजीकवच' नामकऐपलॉन्चकियागया।